



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 126-2024/Ext.]

CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 16, 2024  
(SRAVANA 25, 1946 SAKA )

### LEGISLATIVE SUPPLEMENT

#### CONTENTS

<b>PART-I ACTS</b>	<b>PAGES</b>
NIL	
<b>PART-II ORDINANCES</b>	
1. THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2024 (HARYANA ORDINANCE NO. 2 OF 2024).	7—8
2. THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2024 (HARYANA ORDINANCE NO. 3 OF 2024).	9—10
3. THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ORDINANCE, 2024 (HARYANA ORDINANCE NO. 4 OF 2024).	11—13
4. THE HARYANA VILLAGE COMMAMON LANDS (REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE, 2024 (HARYANA ORDINANCE NO. 5 OF 2024).	15—16
<b>PART-III DELEGATED LEGISLATION</b>	
NIL	
<b>PART-IV CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS</b>	
NIL	

**PART-II**  
**HARYANA GOVERNMENT**  
**LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT**

**Notification**

The 16th August, 2024

**No. Leg. 15/2024.**— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 14<sup>th</sup> August, 2024, is hereby published for general information:-

**HARYANA ORDINANCE NO. 2 OF 2024**  
**THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT)**  
**ORDINANCE, 2024**

**AN**  
**ORDINANCE**

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2024.
2. In section 10 of the Haryana Municipal Act, 1973,-

(a) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(4A) (i) The seats shall be reserved for the Backward Classes ‘B’ in every Municipal Council/Committee and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Municipal Council/Committee as one-half of the proportion of Backward Classes ‘B’ population to the total population in that Municipal Council/Committee and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more; and such seats shall be allotted by draw of lots among three times of the number of seats, proposed for reservation of Backward Classes ‘B’, after excluding those seats already reserved for Scheduled Castes and Backward Classes ‘A’, drawn from those seats which are having the largest percentage population of Backward Classes ‘B’ and also by rotation in the subsequent elections:

Provided that the Municipal Council/Committee shall have at least one member belonging to the Backward Classes ‘B’ if their population is two per centum or more of the total population of the Municipal Council/Committee:

Provided further that where the number of seats so reserved for Backward Classes ‘B’ under this sub-section added to the number of seats reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes ‘A’ exceeds fifty per centum of the total number of seats in that Municipal Council/Committee, then the number of seats reserved for Backward Classes ‘B’ shall be restricted to such largest number that shall lead to the total of the seats reserved for the Scheduled Castes, Backward Classes ‘A’ and Backward Classes ‘B’ not exceeding fifty per centum of the total seats in that Municipal Council/Committee.

**Explanation.**-(1) For the purposes of reservation of Backward Classes ‘B’ under this sub-section, the population of the Municipal Council/Committee area and the population of Backward Classes ‘B’ in that Municipal Council/Committee shall be such as drawn from the Family Information Data Repository established under the provisions of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021) on such date, as may be notified by the Government.

Short title.

Amendment of section 10 of Haryana Act 24 of 1973.

**Explanation.**-(2) For the purposes of the second proviso, fifty per centum of the total seats in the Municipal Council/Committee shall be taken as one-half of the total seats of the Municipal Council/Committee rounded up to the next higher integer where the decimal value is 0.5 or more or rounded down to the next lower integer where the decimal value is less than 0.5.

(ii) Not less than one-third of the total number of seats reserved under this sub-section shall be reserved for women belonging to the Backward Classes 'B' and such seats may be allotted by rotation and by lots amongst the wards reserved under this sub-section.”;

(b) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(5) The office of President shall be filled up from amongst the member belonging to the general category, Scheduled Castes, Backward Classes 'A', Backward Classes 'B' and women by rotation and by lots in the manner as may be prescribed.”.

CHANDIGARH:  
THE 14<sup>TH</sup> AUGUST, 2024

BANDARU DATTATRAYA,  
GOVERNOR OF HARYANA.

.....

RITU GARG,  
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,  
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 143-2024/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2024  
(28 भाद्रपद, 1946 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
<b>भाग I</b>	<b>अधिनियम</b>	
	कुछ नहीं	
<b>भाग II</b>	<b>अध्यादेश</b>	
	1. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2)	23-24
	2. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3)	25-26
	3. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4) (केवल हिन्दी में)	27-29
<b>भाग III</b>	<b>प्रत्यायोजित विधान</b>	
	कुछ नहीं	
<b>भाग IV</b>	<b>शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन</b>	
	कुछ नहीं	

**भाग-II****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 19 सितम्बर, 2024

**संख्या लैज. 15/2024.**— दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 12 सितम्बर, 2024 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

**2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2****हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024**

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,

1973 को आगे संशोधित

करने के लिए

अध्यादेश

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूँकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. यह अध्यादेश हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में,—

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन।

(क) उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(4क) (i) प्रत्येक नगर परिषद्/समिति में पिछड़े वर्ग ‘ख’ के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगर परिषद्/समिति में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस नगर परिषद्/समिति की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग ‘ख’ की जनसंख्या के अनुपात की आधा होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग ‘ख’ की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग ‘ख’ के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ज़ा ऑफ लॉटस द्वारा आर्बिट्रि की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आर्बिट्रि की जाएंगी:

परन्तु नगर परिषद्/समिति में कम से कम एक सदस्य, पिछड़े वर्ग ‘ख’ से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगर परिषद्/समिति की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है:

परन्तु यह और कि जहाँ इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग ‘ख’ के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग ‘क’ के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगर परिषद्/समिति में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग ‘ख’ के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग ‘क’ तथा पिछड़े वर्ग ‘ख’ के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगर परिषद्/समिति में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

**व्याख्या.—(1)** इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग ‘ख’ के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगर परिषद्/समिति क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगर परिषद्/समिति में पिछड़े वर्ग ‘ख’ की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।

**व्याख्या.—(2)** द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु, नगर परिषद्/समिति में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगर परिषद्/समिति की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी।

(ii) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'ख' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।";

(ख) उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क', पिछड़े वर्ग 'ख' तथा महिलाओं से सम्बन्धित सदस्यों में से यथा विहित रीति में चक्रानुक्रम तथा लॉट द्वारा भरे जाएंगे।"

चण्डीगढ़:

दिनांक 12 सितम्बर, 2024.

बंडारू दत्तात्रेय,  
राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग,  
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।